Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

▫ वर्ष- 27 ▫ अंक- 289 ▫ रायपुर, बुधवार 13 नवम्बर 2024 ▫ पृष्ठ-8 ▫ मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • बिलासपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

उपचुनाव में लोगों में उत्साह नहीं, फीका-फीका मतदान

रायपुर, 13 नवंबर (हाईवे चैनल)। रायपुर दक्षिण में हो रहे उपचुनाव में इस बार जनता में उत्साह की कमी दिख रही है । सभी मतदान केंद्रों में फीका फीका मतदान हो रहा है। विधान सभा चुनाव के समय जो लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही थी उपचुनाव में वैसा कुछ भी नहीं है। दोपहर 1 बजे तक 28 प्रतिशत मतदान हुआ था। सड़क पर लगे बीजेपी और कांग्रेस के पंडालों में कुछ कार्यकर्ता बैठे जरूर हैं पर मतदाता दिखाई नहीं दे रहे हैं । मतदान सुबह सात बजे जब शुरू हुआ तो एकदम खाली खाली ही मतदान अधिकारी बैठे मिले। फिर आठ बजे तक इक्का दुक्का आने का सिलसिला शुरू हुआ । ऐसा लग रहा था कि महिलाएं अपने घर का कामकाज निपटाकर मतदान करने आएंगी पर दोपहर 12 बजे तक भी मतदान केंद्रों में भीड़ नहीं लगी । कम मतदान और धीमा मतदान के पीछे क्या कारण है यह अभी छिपा हुआ है जो 23 नवंबर को साफ होगा । कम मतदान का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है यद्यपि कांग्रेस प्रचार में पीछे थी । पर जब लोग घर से निकल ही नहीं रहें हैं तो बीजेपी को मिलने वाला वोट कम हो जाएगा । बीजेपी ने बहुत ज्यादा माहौल बनाया । प्रचार तंत्र भी बहुत मजबूत था और बृजमोहन अग्रवाल ने खुद इस उपचुनाव को प्रचण्ड मत से जीतने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है । पर मेहनत के हिसाब से फायदा नहीं दिख रहा है । सुबह दस बजे तक सिर्फ 8 प्रतिशत वोट पड़े थे । दोपहर 12 बजे तक 18 प्रतिशत वोट डाले गए जबकि विधान सभा चुनावों में बारह बजे तक तीस प्रतिशत से ज्यादा वोट पड़ जाते हैं। ऐसे में शाम तक 50 प्रतिशत से ज्यादा वोटिंग होने की उम्मीद नहीं दिख रही है । जबकि किसानी भी खत्म हो चुकी है और कल 14 नवंबर से किसान धान बेचने निकल रहा है । यह भी देखने मिला कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा चुनाव और मतदान में ज्यादा दिलचस्पी ले रहीं हैं ।मतदान केंद्रों में महिलाएं आते जाते ज्यादा दिख रहीं हैं । बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बन जाने पर उनके इस्तीफे के बाद यह उपचुनाव हो रहा है और बृजमोहन अग्रवाल के पसंदीदा उम्मीदवार सुनील सोनी मैदान में है । कांग्रेस से युवा नेता आकाश शर्मा चुनाव में बीजेपी को टक्कर दे रहें हैं । कौन कितने से जीतेगा यह तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता लगेगा ।

दोपहर 1 बजे तक 28 प्रतिशत मतदान

छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है। रायपुर दक्षिण की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए हिस्सा ले रही है। सुबह सवेरे ही आकाश शर्मा ने वोट दिया। अलग-अलग मतदान केंद्रों का दौरा करते रहे । सुनील सोनी 10:30 बजे के बाद ही घर से बाहर निकले । शुभ मुहूर्त मे ही सुनील सोनी ने भी मतदान किया। इस चुनाव में 30 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा के सुनील सोनी और कांग्रेस के आकाश शर्मा के बीच माना जा रहा है। दोनों ही पार्टियों ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। अब देखना यह होगा कि जनता किस पर भरोसा जताती है। चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा ने पंडित सुंदरलाल शर्मा स्कूल में जाकर मतदान किया। वोट डालने से पहले आकाश शर्मा ने मंदिर में पूजा-अर्चना भी की। किन्नर समाज के लोगों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके अलावा अश्विनी नगर से रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू और छत्तीसगढ़ी फिल्मों की एक्ट्रेस मोना सेन ने भी वोट डाला। मठपुरेना पोलिंग बूथ पर लंबी कतार देखने को मिली। सुरक्षा के मद्देनजर लगभग पांच सौ जवानों के साथ पांच सीआरपीएफ कंपनियां तैनात की गई हैं।

ब्रेकिंग न्यूज

अजीत पवार को भाया पीएम मोदी का 'एक है तो सेफ है' का नारा

नई दिल्ली, 13 नवम्बर (न्यूज चैनल)। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'एक है तो सेफ है' नारे का समर्थन किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ के 'बटेंगे तो कटेंगे' नारे का विरोध करते हुए इसे महाराष्ट्र की वैचारिक विरासत से अलग बताया। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके भतीजे और अब प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार युगेंद्र पवार को राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, और वह बारामती में रहना भी पसंद नहीं करते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी नारे 'एक है तो सुरक्षित है' का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि अगर भारत एकजुट रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। अजित पवार ने कहा कि उस (नारे) में कुछ भी गलत नहीं है, मुझे यहां कोई मुद्दा नहीं दिखता। अगर हम साथ रहेंगे तो हर कोई समृद्ध होगा। हालाँकि, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस कथन पर असहमति व्यक्त की कि 'बँटोगे तो कट जाओगे'। उन्होंने फिर से कहा कि 'बटेंगे तो काटेंगे' वाली टिप्पणी अनुचित है। यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में लोगों की सोच अलग है, लेकिन ऐसे बयान यहां नहीं चलते। मेरी राय में, ऐसे शब्दों का प्रयोग महाराष्ट्र में कोई महत्व नहीं रखता है। पवार ने कहा कि महाराष्ट्र छत्रपति शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले और शिवाजी महाराज का राज्य है। महाराष्ट्र के लोग अलग हैं, और वे अलग तरह से सोचते हैं। अगर कोई शाहू, शिवाजी, फुले और अंबेडकर की विचारधारा को छोड़ेगा तो महाराष्ट्र उन्हें नहीं छोड़ेगा। अपने भाई के बेटे युगेंद्र पवार को शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा द्वारा बारामती की पारिवारिक सीट पर उनके खिलाफ मैदान में उतारने पर, अजीत ने कहा कि उनकी मां ने वरिष्ठ पवार से परिवार के भीतर प्रतिस्पर्धा से बचने का आग्रह किया था।

चूहा- सुनती हो, रायपुर दक्षिण उपचुनाव में सन्नाटा पसरा हुआ है।
चुहिया- हां जी, जनता जानती है उनका वोट बहुमूल्य है...!

झारखंड में 43 सीटों पर वोटिंग जारी 1 बजे तक हुआ 46.3 प्रतिशत मतदान

नई दिल्ली, 13 नवम्बर (न्यूज चैनल)। झारखंड में आज विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग हो रही है. 15 जिलों की 43 सीटों पर हो रहे मतदान में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस-जेएमएम गठबंधन के बीच है. झारखंड में दोपहर एक बजे तक 46.3 प्रतिशत मतदान हुआ है.

30 सीटों पर अगले चरण का चुनाव 20 नवंबर को होना है. जिन 43 सीटों पर वोटिंग हो रही है, उनमें 17 जनरल, 20 स्ज्ञ और 6 स्ष्ट सीटें हैं. वोटिंग के लिए 20,281 जगहों पर कुल 29562 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं. इनमें से 5042 शहरी और 24520 बूथ ग्रामीण इलाकों में हैं. 43 में से 29 सीटों को संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया है. यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. आज पहले चरण में 683 कैंडिडेट अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें 609 पुरुष, 73 महिलाएं और एक थर्ड जेंडर हैं. झारखंड के साथ ही 10 राज्यों की 31 विधानसभा और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव के लिए आज वोटिंग चल रही है. केरल के वायानाड में चल रहे लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की अग्नि परीक्षा है.

झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने पत्नी संग डाला वोट- झारखंड के मुख्यमंत्री और बरहेट विधानसभा सीट से छ्वरूरू उम्मीदवार हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी और गांडेय विधानसभा सीट से छ्वरूरू उम्मीदवार कल्पना सोरेन के साथ मतदान किया.

नक्सलियों के गढ़ में मतदान केंद्रों पर दिखी लंबी कतार

सीईओ झारखंड ने बताया कि बरगद गढ़वा के यूएमएस हेसातु में लंबी कतारें, प्रशंसात्मक अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण मतदान बूढ़ा पहाड़ में लोकतंत्र के एक नए युग के उद्भव का प्रतीक है, जो कभी नक्सलियों का गढ़ था। प्राथमिक विद्यालय सोनापी में मतदाताओं ने नक्सली धमकी को खारिज कर दिया और बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए निकले। नक्सलियों ने पोस्टर लगाकर रास्ता रोकने की कोशिश की।

आंगनबाड़ी में फल और दूध नहीं मिलने पर हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान

महिला एवं बाल विकास विभाग से शपथ पत्र में मांगा जवाब

बिलासपुर, 13 नवंबर (हाईवे चैनल)। हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी में बच्चों को फल, दूध आदि नहीं दिए जाने पर स्वत: संज्ञान लिया है. मामले की जनहित याचिका के रूप में सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने कोर्ट कमिश्नरों की रिपोर्ट से सचिव महिला बाल विकास विभाग के शपथ पत्र का तुलनात्मक मिलान करने को कहा है. मामले में अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी.

बता दें कि दुर्ग जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को फल और दूध नहीं दिए जाने की खबर मीडिया में आई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और इसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज कर सुनवाई शुरू की. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डीबी ने इसके लिए एडवोकेट अमिय कांत तिवारी , सिध्दार्थ दुबे, आशीष बेक, ईशान वर्मा को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया. कोर्ट कमिश्नरों ने इन केन्द्रों में जाकर रिपोर्ट कोर्ट में पेश की. कोर्ट कमिश्नरों को सबंधित अधिकारियों ने बताया कि फल दूध की जगह पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है. रिपोर्ट आने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य शासन के संबंधित प्राधिकारी से शपथपत्र के साथ जवाब मांगा था. मामले में राज्य के मुख्य सचिव और अन्य अफसरों को पक्षकार बनाया गया. इसके कुछ समय बाद सूरजपुर, कवर्धा और बस्तर से भी यही मामला सामने आया. इन जगहों पर जाकर भी कमिश्नरों ने निरीक्षण कर फिर अपनी रिपोर्ट तैयार की. इस बीच सचिव महिला बाल विकास ने कोर्ट में शपथपत्र प्रस्तुत किया. चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान उपस्थित कोर्ट कमिश्नर से कोर्ट ने कहा कि वे अपनी रिपोर्ट से इस शपथपत्र को तुलना कर लें ताकि मालूम हो सके कि अदालत के आदेश का पालन हुआ है या नहीं।

तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत

जगदलपुर, 13 नवंबर (हाईवे चैनल)। रायपुर-ओडिशा रोड पर हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक से यात्रा कर रहे एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई. घटना के बाद मृतकों के शव सड़क पर क्षत-विक्षत हालत में सड़क पर बिखर गया था. इस दौरान आसपास लोगों की भीड़ इकठ्ठा हो गई. घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर कोतवाली पुलिस कार्रवाई में जुट गई है. जानकारी के मुताबिक, प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे के दौरान बाइक पर एक युवक, महिला और एक मासूम सवार था.

ड्राइवर गिरफ्तार

रायपुर-ओडिशा रोड से शहर की तरफ मुड़ने के लिए आमागुड़ा चौक के पास युवक ने बाइक को रोका। इस दौरान पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, यह टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला और युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायल बच्चे की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई।

बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जारी

नई दिल्ली, 13 नवम्बर (न्यूज चैनल)। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए यह साफ कर दिया कि किसी का भी आशियाना तोड़ना अवैध है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी आरोपी का घर सिर्फ इसलिए नहीं गिराया जा सकता क्योंकि उस पर किसी अपराध का आरोप है। जिसकी सच्चाई का निर्धारण सिर्फ न्यायपालिका ही करेगी। कोई अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करता है, या पूरी तरह से मनमाने या दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम करता है, तो उसे बख्शा नहीं जा सकता। कार्यपालिका जज नही बन सकती, बिना प्रक्रिया आरोपी का घर तोड़ना असंवैधानिक, यहां तक दोषी पाए जाने पर भी सजा के तौर पर उनकी संपत्ति को नष्ट नहीं किया जा सकता।

जस्टिस गवई ने फैसला सुनाते हुए कहा, अपना घर पाने की चाहत हर दिल में होती है. हिंदी के मशहूर कवि प्रदीप ने इसे इस तरह से वर्णित किया है. घर सुरक्षा परिवार की सामूहिक उम्मीद है. क्या कार्यपालिका को किसी आरोपी व्यक्ति के परिवार की सुरक्षा छीनने की अनुमति दी जा सकती है, यह हमारे सामने एक सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले का दायरा सीमित है, मुद्दा यह है कि क्या किसी अपराध के आरोपी या दोषी होने पर संपत्ति को ध्वस्त किया जा सकता है। एक घर केवल एक संपत्ति नहीं है, बल्कि सुरक्षा के लिए परिवार की सामूहिक उम्मीद का प्रतीक है। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई से पहले आरोपी को दंडित नही किया जा सकता, कानून का अनुपालन नगरपालिका कानूनों के लिए भी होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत निर्देश जारी किए गए हैं- यदि ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया जाता है, तो इस आदेश के विरुद्ध अपील करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। बिना अपील के रात भर ध्वस्तीकरण के बाद महिलाओं और बच्चों को सड़कों पर देखना सुखद दृश्य नहीं है, बिना कारण बताएं नोटिस के ध्वस्तीकरण नहीं, मालिक को पंजीकृत डाक द्वारा नोटिस भेजा जाएगा और संरचना के बाहर चिपकाया जाएगा, नोटिस से 15 दिनों का समय नोटिस तामील होने के बाद से होगा। तामील होने के बाद कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना भेजी जाएगी कलेक्टर और डीएम नगरपालिका भवनों के ध्वस्तीकरण आदि के प्रभारी नोडल अधिकारी एक महीने के भीतर नियुक्त करेंगे। नोटिस में उल्लंघन की प्रकृति, व्यक्तिगत सुनवाई की तिथि और किसके समक्ष सुनवाई तय की गई है, डिजिटल पोर्टल उपलब्ध कराया जाएगा।जहां नोटिस और उसमें पारित आदेश का विवरण उपलब्ध होगा। प्राधिकरण व्यक्तिगत सुनवाई सुनेगा और मिनट को भी रिकॉर्ड किया जाएगा और उसके बाद अंतिम आदेश पारित किया जाएगा। इसमें यह उत्तर दिया जाना चाहिए कि क्या अनधिकृत संरचना समझौता योग्य है और अगर ऐसा नहीं है तो गिराया जाना ही एक मात्र विकल्प क्यों है? इससे जुड़ा आदेश डिजिटल पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। आदेश के 15 दिनों के भीतर मालिक को अनधिकृत संरचना को ध्वस्त करने या हटाने का भी अवसर दिया जाएगा और अगर अपीलीय निकाय ने आदेश पर रोक नहीं लगाई है तभी गिराने की कार्रवाई की जाएगी। विध्वंस की कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जाएगी। वीडियो को संरक्षित किया जाना चाहिए। उक्त विध्वंस रिपोर्ट नगर आयुक्त को भेजी जानी चाहिए। सभी निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए और इन निर्देशों का पालन न करने पर अवमानना और अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी और उन अधिकारियों को मुआवजे के साथ ध्वस्त संपत्ति की लागत वापस करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिए जाने चाहिए सहित कई निर्देश दिए गए हैं।